तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	संतोष कुमार बनाम पूर्ण सिंह प्रा० पत्र अस्थाई निषे० फा० 31/2024
31.01.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वादपत्र के हमफिता हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
91 / 2020	2020 / 236	16.10.2020	31.01.2025

उनवान प्रकरण

1. संतोष कँवर पत्नी रघुवीर सिंह आयु 65 वर्ष
2. दलीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह आयु 37 वर्ष
3. भवानी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह आयु 35 वर्ष
4. हिम्मत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह आयु 30 वर्ष
5. भारत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह आयु 28 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. पूर्णसिंह पुत्र कायम सिंह आयु 68 वर्ष
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र कायम सिंह आयु 65 वर्ष
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र कायम सिंह आयु 60 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

4. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

अप्रार्थीगण——

उपखण्ड अधिकारी (सील) श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।
श्री गिरधारी लाल सैनी,एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 4262 रकबा 0.4000 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1881, 1882, 3854, 3855, 3858, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3998, 3999, 4013, 4014, 4019, 4019/4797, 4273 कुल किता 17 कुल रकबा 5.2000 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3866, 3867 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर 15/80 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एंव दावा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 18 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3455, 3460 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5200 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3461 रकबा 0.0600 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एंव दावा प्रतिवादी संख्या 19 व 20 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त मद संख्या 1 ता 5 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एंव दावा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि का पक्षकारान् के मध्य कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण अपनी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 उक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक तकास्मा कराये दीगर भू माफिया गिरोह के लोगों को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह विशिष्ट भू भाग पर करवाने पर उतारू है तथा प्रार्थीगण को उनकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा भूमि को बिना भू रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है एंव भूमि का विधिक विभाजन करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काफी चालाक व बदमाश एंव षड़यंत्रकारी किस्म के व्यक्ति है। जिन्होने आपस में मिलकर एक नाजायज गिरोह बना रखा है। जिन्होनें प्रार्थीगण को दिनांक 08.10.2020 को धमकी दी है कि भूमियों को बिना विधिक तकास्मा कराये दिगर भू माफिया गिरोह के लोगों को बैचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाकर रहेगें तथा प्रार्थीगण को उनकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करवाकर रहेगें तथा कृषि भूमियों को बिना भू रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करके रहेगें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को ता–दौराने सुनवाई वाद जरिये अस्थाई निषेंधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4262 रकबा 0.4000 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1881, 1882, 3854, 3855, 3858, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3998, 3999, 4013, 4014, 4019, 4019/4797, 4273 कुल किता 17 कुल रकबा 5.2000 हैक्टर व कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 3866, 3867 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3455, 3460 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5200 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3461 रकबा 0.0600 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 को बिना विधिक तकासमा कराये दिगर को विक्रय रहन अन्तरण नहीं करे, ना ही दीगर का मनमर्जी से मनचाही जगह विशिष्ट भू भाग बलात कब्जा नहीं करवाये, ना ही कृषि भूमि को बिना भू रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करे ना ही अवैध निर्माण करें, ना ही प्रार्थीगण को उनकी हक हिस्सा खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करें तथा अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 6 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि का विकय, रहन, अन्तरण लेख, इत्यादि को तस्दीक नहीं करने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित आये एंव इसके पश्चात श्री गिरधारी लाल सैनी एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। शेष अप्रार्थीगण संख्या– 4 लगायत 6 की तामील असालतन होकर आने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या– 4 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 4262 रकबा 0.4000 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के नाम से तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1881, 1882, 3854, 3855, 3858, 3861, 3862, 3863, 3864,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

3865, 3998, 3999, 4013, 4014, 4019, 4019/4797, 4273 कुल किता 17 कुल रकबा 5.2000 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3866, 3867 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 15/80 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एंव दावा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 18 के नाम से एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3455, 3460 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5200 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित होकर 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3461 रकबा 0.0600 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित होकर 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण एंव शेष हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एंव दावा प्रतिवादी संख्या 19 व 20 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियॉ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एंव दावा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि का पक्षकारान् के मध्य कोई विधिक विभाजन नहीं होने तथा प्रार्थीगण अपनी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चले आना अवगत कराया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 उक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक तकास्मा कराये दीगर भू माफिया गिरोह के लोगों को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह विशिष्ट भू भाग पर करवाने पर उतारू है तथा प्रार्थीगण को उनकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा भूमि को बिना भू रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने हेतु प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरीम स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश दिनांक 16.10.2020 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कायम किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वहीं दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए दौराने बहस अवगत कराया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 आपस में भाई है एवं एक ही परिवारजन है। उक्त भूमियों में भूमि खसरा नम्बर 4013, 4014 वाके ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर में अप्रार्थी संख्या 1 पूर्णसिंह का बोरवेल एवं बिजली कनेक्शन व अप्रार्थी संख्या 4 राजेन्द्र सिंह के पुख्ता मकान अवस्थित है। भूमि खसरा नम्बर 3861 व 3863 पटवार हल्का नाथूसर के ग्राम नाथूसर में नरेन्द्र सिंह, अप्रार्थी संख्या 2 के मकान व ट्यूबवैल, बिजली कनेक्शन व फिल्टर पानी का प्लान्ट अवस्थित है एवं भूमि खसरा नम्बर 4262 के पूर्व दिशा में प्रार्थीगण संतोष कंवर के मकान अवस्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के मकानात एंव ट्यूबवैल विधुत कनेक्शन अवस्थित हैं। उक्त भूमियों को मकान, ट्यूबवैल विधुत कनेक्शन कब्जा अनुसार एंव हिस्सा अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व प्रार्थीगण के हिस्से में कानूनन विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से शेष भूमियों का राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायहित है। प्रार्थीगण उक्त भूमियों का बंटवारा करने की मंशा से न्यायालय में नहीं आकर केवल मात्र वादग्रस्त भूमियों को विवादग्रस्त कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 पर दबाव बनाकर भूमियों को हड़पने की मंशा से पेश किया है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 हमेशा भूमियों के विधिक बंटवारा करवाने के तैयार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व [illegible] उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी [illegible] –पॉच जमाबन्दीयों, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब [illegible] अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible]षेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमियों की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व दावे के अन्य प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों का अभी तक विधिक तकास्मा नहीं होना तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदारान द्वारा अपनी–अपनी भूमियों के हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमियों पर काबिज काश्त चले आना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का मौके पर बंटवारा बाहमी तौर पर पूर्व मे ही होना तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि का अभी तक विधिक विभाजन नहीं होना प्रतित होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया जाना प्रकट होता है। जहाँ तक वादग्रस्त भूमियों को बिना विधिक तकास्मा कराये दीगर व्यक्तियों को भूमियों का विक्रय कर उनका कब्जा करवाने एंव भूमि के विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा करवाये जाने का प्रश्न है तो संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमियों को बिना विधिक तकास्मा कराये अन्तरित किये जाने से रोकने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतित होता है। जहाँ तक वादग्रस्त आराजी भूमियों का विधिक बंटवारा करवाये जाने का प्रश्न है तो वह पक्षकारान् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की मूल वादपत्र में दिनांक 10.10.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिकि विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 591/भू.अ./23 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा प्राप्त होना तथा उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट पर ऐतराज प्रारम्भिक डिक्री वादीगण द्वारा पेश किये जाने पर जवाब एतराज प्रार्थना पत्र पेश हो जाने से मूल वादपत्र बहस एतराज प्रार्थना पत्र व साक्ष्य में वर्तमान में विचाराधीन होना प्रकट होता है। उक्त वादपत्र में जारी प्रारम्भिक डिक्री की माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहाँ अपील दायर हो जाने तथा अपील में पारित निर्णयानुसार पक्षकारान् की साक्ष्य ली जाकर सुनवाई किये जाने के उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाकर ही विधिक बंटवारा करवाया जाना सम्भव होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियां अवस्थित तन् ग्राम नाथूसर व रतनपुरा में दर्ज भूमियो की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने से प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त उभय पक्षकारान् के पक्ष में होना प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर आदेश दिये जाते है कि तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4262 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1881, 1882, 3854, 3855, 3858, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3998, 3999, 4013, 4014, 4019, 4019/4797, 4273 कुल किता 17 कुल रकबा 5.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3866, 3867 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टर, तन् ग्राम रतनपु[illegible] हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] 3460 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5200 हैक्टर, खसरा नम्बर 3461 रकबा 0.0[illegible]00 हैक्टर को बिना विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] करावे दीगर को विक्रय, रहन, अन्तरण आदि नहीं करें एंव ना ही दिगर का [illegible] से मनचाही जगह विशिष्ठ भू भाग बलात कब्जा नहीं करवाये एंव ना ही कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करे तथा राजस्व रिकार्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:35 IST
Reason: SelfAttested